संख्या-3/2025/ए-1- 31/दस-2025 10-31/4/2022

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ - दिनांक – 10 मार्च, 2025**

विषय - प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेण्ट लागू होने के फलस्वरूप आवश्यक निर्देश।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 से कोषागारों द्वारा समस्त भुगतान ई-पेमेण्ट के माध्यम से किए जा रहे हैं एवं अब कोषागारों द्वारा किसी भी भुगतान हेतु चेक जारी नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन बिल प्रस्तुतीकरण एवं ई-कुबेर प्रणाली भी वर्तमान में लागू है ।

2- अत: कोषागारों से समस्त देयकों का समयान्तर्गत भुगतान सुनिश्चित हो सके, के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि –

(i) सभी प्रशासकीय विभाग एवं बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा निर्गत की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों को दिनांक 15 मार्च, 2025 तक आवश्यक रूप से निर्गत कर दिया जाये तथा उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि वित्तीय स्वीकृतियाँ एवं उसके सापेक्ष आवंटन कार्य स्थल (आहरण एवं वितरण अधिकारी) तक विलम्बतम दिनांक 20 मार्च, 2025 तक अवश्य पहुँच जाये।

(ii) अनावश्यक विलम्ब व अप्रत्याशित तकनीकी समस्याओं से बचाव हेतु सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में समस्त बिल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 25 मार्च, 2025 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जायें, जिससे कि प्रस्तुत बिलों की आवश्यक चेकिंग के बाद कोषागारों द्वारा बिलों की पासिंग तथा ई-पेमेण्ट के माध्यम से दिनांक 31 मार्च, 2025 तक भुगतान हेतु ऑथराईजेशन किया जा सके, क्योंकि कोषागारों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2025 को रात्रि 21:00 बजे तक ही ट्रांजेक्शन ऑथराईज (authorise) किये जायेगें ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वर पर ई-पेमेण्ट फाइलों को रात्रि 22:00 बजे तक अपलोड किया जा सकें।

(iii) उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन आगामी वित्तीय वर्षों में भी सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यदि किसी कारणवश दिनांक 25 मार्च, 2025 तक बिल कोषागार में प्रस्तुत नहीं किये जा सके हैं, तो दिनांक 31 मार्च, 2025 को आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में बिल प्रस्तुत करने तथा कोषागारों द्वारा बिलों का पारण किये जाने हेतु निम्नवत् समय सीमा निर्धारित की जाती है–

क्र.सं.	कार्यवाही	निर्धारित समय-सीमा
1	आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में बिल प्रस्तुत किया जाना	17:00 बजे तक
2	कोषागार द्वारा ट्रांजेक्शन अप्रूवल	21:00 बजे तक

4- (i) यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कुबेर प्लेटफार्म पर पेमेन्ट फाइल्स की अपलोडिंग दिनांक 31 मार्च, 2025 को 22:00 बजे के उपरान्त सम्भव नही हो सकेगी। कभी-कभी तकनीकी कारणों से अथवा पेमेन्ट फाइल में किसी त्रुटि के कारण ई-कुबेर प्रणाली द्वारा किसी देयक की पेमेन्ट फाइल अस्वीकृत (reject) हो जाने के कारण उस पेमेन्ट फाइल में सम्मिलित समस्त देयकों का भुगतान बाधित हो जाता है । अस्वीकृत फाइल (rejected file) संबंधी विवरण ई-कुबेर मॉनिटिरिंग सिस्टम पर अपडेट हो जाता है, जिसे कोषाधिकारियों द्वारा देख कर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए । समस्त कोषाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि इस संबंध में यथेष्ठ सतर्कता बरती जाये तथा मॉनिटिरिंग सिस्टम पर अस्वीकृत फाइल (rejected file) की स्थिति का लगातार अनुश्रवण किया जाये तथा तत्संबंधी आवश्यक कार्यवही ससमय सुनिश्चित की जाये ।

(ii) यह भी ध्यान रखा जाय कि ई-कुबेर पोर्टल पर अल्प रिकॉर्डस वाली बहुत अधिक संख्या में ट्रान्जेक्शन फाइल्स अपलोड करने के स्थान पर यथासम्भव मल्टीपल रिकॉर्ड्स (अधिकतम 50,000 रिकॉर्डस) की ट्रान्जेक्शन फाइल्स अपलोड की जाय।

5- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्षों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त का अनुपालन न करने तथा सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

- - 3 - -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या--तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से कि समस्त कोषागारों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से निर्देर्शित करने का कष्ट करें।
5- उप महाप्रबन्धक, एकीकृत बैंकिग विभाग,भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गाँधी मार्ग, कानपुर 208001
6- सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ-226001
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
महेन्द्र कुमार भट्ट
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।